न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/21/2025	2025/157	06.05.2025	07.05.2025

1. विजय शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मकान नंबर 2–क–495–496 शिवाजीपार्क अलवर तहसील व जिला अलवर राज० हाल निवासी 17 कैलाश कालोनी भगत सिंह कालोनी अलवर।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर राज0।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार अलवर दिनांक 14.05.2024, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–

01–श्री कमल सिंह पोसवाल –वकील अपी0

निर्णयः–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 14.05.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। वकील अपीलाण्ट के निवेदन पर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–05–24 को आदेश पारित किये है कि संबंधित पटवारी हल्का को हल्के से संबंधित जो 90क की पत्रालियां तहसीलदार कार्यालय में विचाराधीन है तथा आपके द्वारा धारा 90क के तहत जो रिर्पोट प्रस्तुत की जावे उन पर जमाबंदी में धारा 90क की कार्यवाही विचाराधीन का नोट अंकित करें। कार्य में कोताही न बरते। जो आदेश तहत अदालत विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत पारित किया गया है जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील निम्न वजूहात के साथ श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–5–24 न्यायालय तहसीलदार अलवर का है जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–5–24 का है जिसकी जानकारी मिन अपीलांट को पूर्व में नही थी अब मिन अपीलांट अपनी आराजी पर कृषि ऋण लेने के लिए राजस्व रेकार्ड की नकल के लिए पटवारी हल्का के पास दिनांक 5–5–25 को गया तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि जमाबंदी में नोट तहसीलदारजी के आदेश दिनांक 14–5–24 का लगा हुआ है। जिस पर मिन अपीलांट ने नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2074 नकल प्राप्त कर अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो वकील साहब ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की सलाह दी जिस पर मिन अपीलांट ने पैसे का इंतजाम कर आज बिला देरी जानकारी से अंदर अवधी पेश की है। दफा 5 मयाद अधि० का प्रार्थनाप पत्र अवधी कन्डोन हेतु अलहैदा से पेश किया जारहा है।

आदेश तहत अदालत विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है और राजस्व रेकार्ड से आदेश का नोट हटाया जाना न्यायोचित है। तहत अदालत द्वारा जो नोट लगाने का आदेश पारित किया है वह मिन अपीलांट को बिना सुने व साक्ष्य सफाई का मौका दिये पारित किया गया है जो गलत है विधि

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विरूद्व है। आराजी खसरा नंबर 334/184 रकबा 0.7587 वाके ग्राम धवाला में मिन अपीलांट का हिस्सा 2342/7587 है जिस आराजी की बाबत राजस्व रेकार्ड में तहत अदालत के आदेश का नोट हटाया जाना न्यायोचित है। अतः अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 14–05–24 निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में आदेश के नोट को हटाये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2024 के विरूद्व दिनांक 06.05.2025 को पेश की गयी है जो करीब 11 माह 23 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील अपी0 की बहस पर चिन्तन–मनन किया। तहसीलदार अलवर द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.05.2024 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर के आदेश 3374–419 दिनांक 14.05.2024 को समस्त पटवारी हल्का एवं आर.पी.जी. तहसील अलवर को आदेश जारी किया गया कि इस न्यायालय में विचाराधीन धारा 90(क) प्रकरणों का अपने–अपने क्षेत्र में जमाबंदी में नोट अंकित किया जावे जिससे आराजी खसरा नंबर 334/184 रकबा 0.7587 वाके ग्राम धवाला की जमाबंदी में नोट अंकित किया गया है। अपी0 द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि मेरी उक्त आराजी की जमाबंदी पर नोट अंकित करने से पूर्व खातेदारों को नहीं सुना गया। उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 334/184 रकबा 0.7587 वाके ग्राम धवाला संयुक्त खातेदारी की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस खातेदार द्वारा कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है, का उल्लेख तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 14.05.2024 में नहीं किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक सामूहिक आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने एवं अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 14.05.2024 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 334/184 रकबा 0.7587 वाके ग्राम धवाला की आराजी के राजस्व रेकॉर्ड में से धारा 90क की कार्यवाही विचाराधीन होने का नोट नियमानुसार हटाए जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)